देवेन्द्र सिंह चौहान,
आई०पी०एस०

डीजी परिपत्र सं0 - 07 /2023

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226010

दिनांक:फरवरी 16,2023

विषयः- MISCELLANEOUS APPLICATION NO.-1849/2021 IN SPECIAL LEAVE PETITION (CRL.) -NO.5191/2021, सतेन्द्र कुमार अन्टिल बनाम सीबीआई व अन्य में पारित निर्णय दिनांकित 11.07.2022 के अनुपालन हेतु दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

प्रायः यह देखा गया है कि कुछ विवेचना अधिकारी विवेचना के दौरान गवाहों या संदिग्धों को बुलाने के संबंध में या धारा-174 द.प्र.सं. के अन्तर्गत की जाने वाली जाँच के सम्बन्ध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए, 91, 160 और 175 की विधिक आवश्यकताओं का पालन नहीं करते हैं। दण्ड प्रक्रिया संहिता की ये धाराएं विवेचना अधिकारियों को किसी भी ऐसे व्यक्ति का मौखिक परीक्षण करने का अधिकार देती हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित है। धारा-41ए दं.प्र.सं उन सभी मामलों में जहां व्यक्ति की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है, पुलिस अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए नोटिस जारी करने का प्रावधान करती है। धारा-41ए के अनुपालन तथा गवाहों और संदिग्धों को पूछताछ हेतु बुलाने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश पूर्व में पार्श्वांकित बाक्स में अंकित शासनादेश तथा परिपत्रों के माध्यम से निर्गत किये गये हैं।

डीजी परिपत्र सं0 - 41/2014 दि0- 17.06.2014
डीजी परिपत्र सं0 - 57/2014 दि0- 13.09.2014
डीजी परिपत्र सं0 - 05/2021 दि0- 19.02.2021
डीजी परिपत्र सं0 - 20/2022 दि0- 16.07.2022
शासनादेश संख्या:197पी/छः-पु-3-23-2(291) पी/2022 दिनांक 23.01.2023

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मिस. एप्लीकेशन सं0-1849/2021, SLP Crl. 5191/2021 सतेन्द्र कुमार अन्टिल वनाम सी.बी.आई. व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 15.07.2022 में दिल्ली पुलिस द्वारा निर्गत Standing Order No. 109/2020 के समान निर्देश निर्गत करने हेतु सभी राज्यों को निम्नवत निर्देशित किया गया है -

"28.It is also brought to our notice that there are no specific guidelines with respect to the mandatory compliance of Section 41A of the Code. An endeavour was made by the Delhi High Court while deciding Writ Petition (C) No. 7608 of 2017 vide order dated 07.02.2018, followed by order dated 28.10.2021 in Contempt Case (C) No. 480 of 2020 & CM Application No. 25054 of 2020, wherein not only the need for guidelines but also the effect of non-compliance towards taking action against the officers concerned was discussed. We also take note of the fact that a standing order has been passed by the Delhi Police viz., Standing Order No. 109 of 2020, which provides for a set of guidelines in the form of procedure for issuance of notices or orders by the police officers. Considering the aforesaid action taken, in due compliance with the order passed by the Delhi High Court in Writ Petition (C) No.7608 of 2017 dated 07.02.2018, this Court has also passed an order in Writ Petition (Crl.) 420 of 2021 dated 10.05.2021 directing the State of Bihar to look into the said aspect of an appropriate modification to give effect to the mandate of Section 41A. A recent judgment has also been rendered on the same lines by the High Court of Jharkhand in Cr.M.P. No. 1291 of 2021 dated 16.06.2022.

.....2

29.Thus, we deem it appropriate to direct all the State Governments and the Union Territories to facilitate standing orders while taking note of the standing order issued by the Delhi Police i.e., Standing Order No. 109 of 2020, to comply with the mandate of Section 41A. We do feel that this would certainly take care of not only the unwarranted arrests, but also the clogging of bail applications before various Courts as they may not even be required for the offences up to seven years."

मा0 उच्च न्यायालय दिल्ली ने रिट पिटीशन(सी) संख्या-7608/2017 अमनदीप सिंह जौहर बनाम (एनसीटी) दिल्ली राज्य में अपने निर्णय दिनांकित 07.02.2018 द्वारा पुलिस अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से पालन की जाने वाली प्रक्रिया की स्पष्ट रूप से व्याख्या की है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में रिट पिटीशन (सी) संख्या-7608/2017 उपरोक्त में मा0 उच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांकित 07.02.2018 में निर्गत निर्देशों का अनुपालन उ0प्र0 पुलिस द्वारा किया जाना आज्ञापक हो गया है, जिसके दृष्टिगत प्रमुख सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश संख्याः197पी/छः-पु-3-23-2(291)पी/2022 दिनांकित 23.01.2023 निर्गत किया गया है।

2. सुसंगत वैधानिक प्रावधान-

रिट पिटीशन(सी) संख्या-7608/2017 अमनदीप सिंह जौहर बनाम (एनसीटी) दिल्ली राज्य के मामले में मा0 उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित निर्णय से सुसंगत विधिक प्रावधान (दं.प्र.सं की धारा-41ए, 91, 160 और 175), जो किसी भी व्यक्ति के पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थिति की आवश्यकता से संबंधित है, का उद्धरण सुलभ संदर्भ हेतु निम्नवत अंकित किया जा रहा है-

धारा-41ए दं.प्र.सं (पुलिस अधिकारी के समक्ष पेश होने की सूचना)—

(i) पुलिस अधिकारी, ऐसे सभी मामलों में जिनमें धारा 41 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है, उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि उसने संज्ञेय अपराध किया है, उसके समक्ष यह ऐसे अन्य स्थान पर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए उपसंजात होने के लिए निदेश देते हुए सूचना जारी करेगा।

(ii) जहां ऐसी सूचना किसी व्यक्ति को जारी की जाती है, वहां उस व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सूचना के निबंधनों का अनुपालन करे।

(iii) जहां ऐसा व्यक्ति सूचना का अनुपालन करता है और अनुपालन करता रहता है वहां उसे सूचना में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी की यह राय न हो कि उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए।

.....3

(iv) जहां ऐसा व्यक्ति, किसी भी समय सूचना के निबंधनों का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां पुलिस अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उसे, ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए गए हों, सूचना में वर्णित अपराध के लिए गिरफ्तार करे।

धारा-91 दं.प्र.सं (दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन) —

(i) जब कभी कोई न्यायालय या पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी यह समझता है कि किसी ऐसे विवेचना, जांच, विचारण, या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, जो इस संहिता के अधीन ऐसे न्यायालय या अधिकारी के द्वारा या समक्ष हो रही हैं, किसी दस्तावेज या अन्य चीज का पेश किया जाना आवश्यक या वांछनीय है तो जिस व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में ऐसी दस्तावेज या चीज के होने का विश्वास है उसके नाम ऐसा न्यायालय एक समन या ऐसा अधिकारी एक लिखित आदेश उससे यह अपेक्षा करते हुए जारी कर सकता है कि उस समन या आदेश में उल्लिखित समय और स्थान पर उसे पेश करे अथवा हाजिर हो और उसे पेश करे।

(ii) यदि कोई व्यक्ति, जिससे इस धारा के अधीन दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने की ही अपेक्षा की गई है उसे पेश करने के लिए स्वयं हाजिर होने के बजाय उस दस्तावेज या चीज को पेश करवा दे तो यह समझा जाएगा कि उसने उस अपेक्षा का अनुपालन कर दिया है।

(iii) इस धारा की कोई बात-

(a) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 123 और 124 या बैंककार वही साक्ष्य अधिनियम, 1891 (1891 का 13) पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी; अथवा

(b) डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी पत्र, पोस्टकार्ड, तार या अन्य दस्तावेज या किसी पार्सल या चीज को लागू होने वाली नहीं समझी जाएगी।

धारा-160 दं.प्र.सं. (साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति) —

(i) कोई पुलिस अधिकारी, जो इस अध्याय के अधीन विवेचना कर रहा है, अपने थाने की या किसी पास के थाने की सीमाओं के अंदर विद्यमान किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसकी दी गई इत्तिला से या अन्यथा उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित होना प्रतीत होता है, अपने समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा लिखित आदेश द्वारा कर सकता है और वह व्यक्ति अपेक्षानुसार हाजिर होगा;

परंतु किसी पुरुष से [जो पंद्रह वर्ष से कम आयु का या पैंसठ वर्ष से अधिक आयु का है या किसी स्त्री से या किसी मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति से] ऐसे स्थान से जिसमें ऐसा पुरुष या स्त्री निवास करती है, भिन्न किसी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

.....4

(ii) अपने निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान पर उपधारा (1) के अधीन हाजिर होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के उचित खर्चों का पुलिस अधिकारी द्वारा संदाय कराने के लिए राज्य सरकार इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा उपबन्ध कर सकती है।

धारा-175 दं.प्र.सं.(व्यक्तियों को समन करने की शक्ति) —

(i) धारा 174 के अधीन कार्यवाही करने वाला पुलिस अधिकारी यथापूर्वोक्त दो या अधिक व्यक्तियों को उक्त विवेचना के प्रयोजन से और किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित प्रतीत होता है, लिखित आदेश द्वारा समन कर सकता है तथा ऐसे समन किया गया प्रत्येक व्यक्ति हाजिर होने के लिए और उन प्रश्नों के सिवाय, जिनके उत्तरों की प्रवृत्ति उसे आपराधिक आरोप या शास्ति या समपहरण की आशंका में डालने की है. सब प्रश्नों का सही-सही उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा।

(ii) यदि तथ्यों से ऐसा कोई संज्ञेय अपराध, जिसे धारा 170 लागू है, प्रकट नहीं होता है तो पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति से मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हाजिर होने की अपेक्षा न करेगा।

3. नोटिस/आदेश जारी करने की प्रक्रिया-

रिट पिटीशन (सी) संख्या-7608/2017 अमनदीप सिंह जौहर बनाम (एनसीटी) दिल्ली राज्य के मामले में मा0 उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित निर्णय का परिशीलन करने से यह परिलक्षित होता है कि जहाँ तक धारा 41ए दं.प्र.सं के क्रियान्वयन का सम्बन्ध है, उ0प्र0 पुलिस के पुलिस अधिकारियों/विवेचकों द्वारा निम्न प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाएगा:

(i) पुलिस अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से दं.प्र.सं. के अध्याय-VI में निहित प्रावधानों की शर्तों के अनुसार ही धारा-41ए दं.प्र.सं के अन्तर्गत औपचारिक रूप से नोटिस जारी किया जाना चाहिए। धारा-41ए दं.प्र.सं. के अन्तर्गत नोटिस का प्रारूप और इसकी पावती अनुलग्नक-A के रूप में संलग्न है।

(ii) संबंधित संदिग्ध या आरोपी व्यक्ति के लिये धारा-41ए दं.प्र.सं के अन्तर्गत नोटिस की शर्तों का पालन करना तथा स्वयं को अपेक्षित समय और स्थान पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(iii) यदि आरोपी किसी वैध और न्यायोचित कारण की वजह से दिए गए समय पर स्वयं को प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो आरोपी को तत्काल लिखित रूप में विवेचना अधिकारी को सूचित करना चाहिए और एक उचित अवधि के भीतर वैकल्पिक समय की मांग करनी चाहिए, जो आदर्श रूप से उस तिथि से 04 कार्य दिवसों की अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिस तिथि को उसे उपस्थित होना आवश्यक था जब तक कि वह ऐसी अनुपस्थिति के लिए उचित कारण दिखाने में असमर्थ है।

(iv) जब तक यह विवेचना के लिए हानिकारक न हो, पुलिस अधिकारी इस तरह के पुनर्निर्धारण की अनुमति दे सकता है, यद्यपि केसडायरी में उचित कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए। यदि

.....5

विवेचना अधिकारी को यह विश्वास हो जाता है कि विवेचना/जाँच में विलम्ब करने के लिए इस तरह के विस्तार की मांग की जा रही है या संदिग्ध या आरोपी व्यक्ति समय मांग कर टालमटोल कर रहा है, (संबंधित पुलिस स्टेशन के एसएचओ/डीसीपी को सूचित करते हुये), तो इस प्रकार के अनुरोध को अस्वीकार कर उस व्यक्ति को अनिवार्य रूप से उपस्थित होने हेतु निर्देशित करना चाहिए।

(v) एक संदिग्ध या आरोपी, जो औपचारिक रूप से धारा 41A द.प्र.सं. के अन्तर्गत एक नोटिस प्राप्त करता है और पुलिस स्टेशन में जांच या पूछताछ के लिए संबंधित अधिकारी के सामने प्रस्तुत होता है संबंधित विवेचना अधिकारी से पावती के लिए अनुरोध कर सकता है।

(vi) जहाँ कि किसी संदिग्ध या आरोपित व्यक्ति को पुलिस थाने से भिन्न किसी स्थान पर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है (जैसा कि धारा-41 ए(1) द.प्र.सं. में व्यवस्था है) उक्त संदिग्ध व्यक्ति उस स्थान पर एक स्वतंत्र साक्षी तथा स्वयं सम्बन्धित विवेचना / जाँच अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पावती (Acknowledgement) प्राप्त करने लिये स्वतंत्र होगा।

(vii) पुलिस थाने के एसएचओ द्वारा जांच अधिकारी को तीन प्रतियों की कार्बन कॉपी प्रारूप में क्रमिक क्रमांकित नोटिस वाली एक विधिवत अनुक्रमित पुस्तिका जारी की जानी चाहिए। नोटिस में अनिवार्य रूप से निम्नलिखित विवरण होने चाहिए:

(a) क्रम संख्या
(b) केस नंबर
(c) उपस्थिति की तिथि और समय
(d) अनुपालन में विफलता की स्थिति में परिणाम
(e) पावती पर्ची

<u>(viii) विवेचना/जांच अधिकारी निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करेगा: - ·</u>

(a) मूल प्रपत्र आरोपी या संदिग्ध पर तामील किया जायेगा।

(b) एक कार्बन कॉपी (श्वेत पत्र पर) विवेचना अधिकारी द्वारा अपनी केस डायरी में रखी जायेगी, जिसे आवश्यकता पड़ने पर संबंधित मजिस्ट्रेट को दिखाया जा सकता है।

(c) प्रयुक्त पुस्तिकाएं विवेचना अधिकारी द्वारा पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के पास जमा की जायेंगी, जो विवेचना पूरा होने तक और दं.प्र.सं की धारा 173 (2) के अन्तर्गत अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक इसे अपने पास रखेंगे।

(d) पुलिस विभाग ऐसी पुस्तिकाओं के संरक्षण एवं विनष्ट करने के लिए उपयुक्त नियम बनाएगा।

.....6

4. अमनदीप सिंह जौहर बनाम (एनसीटी) दिल्ली राज्य में पारित आदेश दिनांकित 07.02.2018 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के अन्य निर्देश

(i) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि उपरोक्त प्रक्रिया दं.प्र.सं की धारा 91, 160 और 175 के क्रियान्वयन पर भी लागू होगी। पुलिस द्वारा उपरोक्त सभी धाराओं के क्रियान्वयन की आवश्यकताओं को पूरा करते समय उपरोक्त प्रक्रिया का अनिवार्य रूप से पालन किया जायेगा।

(ii) धारा-41ए, 91, 160 और 175 के अन्तर्गत जारी किए जाने वाले नोटिस का प्रारूप अनुलग्नक-A,B,C और D के रूप में संलग्न किया गया है।

(iii) अनुलग्नक-E के अनुसार प्रत्येक पुलिस थाने में ड्यूटी अधिकारी द्वारा एक रजिस्टर वर्ष-वार तैयार किया जायेगा, जिसमें विवेचना/जाँच अधिकारियों द्वारा जारी नोटिसों का प्रासंगिक विवरण अंकित किया जायेगा।

5. उत्तरदायित्व का क्षेत्र

i. इस तरह के नोटिस जारी करते समय सम्बन्धित विवेचना / जाँच अधिकारी को दिये गये स्थान और समय पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए और यदि किसी अप्रत्याशित परिस्थिति या आधिकारिक आवश्यकता के कारण ऐसे अधिकारी का नियत समय व स्थान पर उपस्थित होना सम्भव न हो तो ऐसी दशा में विवेचनाधिकारी या एस.एच.ओ. नोटिस प्राप्तकर्ता के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे। यद्यपि गम्भीर प्रकृति की ऐसी किसी दुर्लभ परिस्थिति में जहाँ उपरोक्त अधिकारियों में से कोई भी उपस्थित न हो, नोटिस प्राप्तकर्ता की उपस्थिति दर्ज करते समय ड्यूटी अधिकारी आवश्यक पावती जारी करेगा और इस आशय का रोजनामचाआम (जी0डी0) में प्रविष्टि भी करेगा। ड्यूटी अधिकारी नोटिसी/नोटिस प्राप्तकर्ता से स्व-प्रमाणित पहचान पत्र (आई.डी.) की एक प्रति भी एकत्र करेगा और तदनुसार विवेचना अधिकारी या एसएचओ को सूचित करेगा। जी0डी0 एंट्री और आईडी प्रूफ की कॉपी विवेचना अधिकारी के आने पर उसे सौंप दी जाएगी।

ii. जांच/विवेचना अधिकारी अपने द्वारा बुलाए गए व्यक्तियों की व्यक्तिगत सुरक्षा के संबंध में पूरी देखभाल और सावधानी बरतने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें ऐसे गवाह या संदिग्ध को आत्महत्या करने का प्रयास करने या स्वयं को कोई शारीरिक क्षति पहुँचाने की संभावना से बचाना चाहिए। विवेचना अधिकारी का कार्य जहां तक संभव हो आगन्तुक कक्ष या पुलिस थानों के भूतल में किया जाना चाहिए।

iii. जब किसी महिला से पूछताछ की जानी हो और दं.प्र.सं की धारा 160 के अन्तर्गत नोटिस दिया जाना हो उस स्थिति में विवेचना अधिकारी को यह ध्यान रखना चाहिए कि एक महिला को पुलिस थाने में नहीं बुलाया जा सकता है। हालांकि, नोटिस में विवरण और समय का उल्लेख किया जा

.....7

सकता है जहां महिलाओं से पूछताछ की जाएगी, जो सामान्य रूप से वह स्थान होना चाहिए जहां महिलाएं रहती हैं। यह पूछताछ आदर्श रूप से महिला के परिचारीजनों या महिला पुलिसकर्मियों की उपस्थिति में की जानी चाहिए।

iv. धारा 160 दं.प्र.सं के अनुसार, पंद्रह वर्ष से कम या पैंसठ वर्ष से अधिक आयु के किसी पुरुष या महिला या मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को ऐसे स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है जिसमें ऐसा पुरुष निवास करता है। किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार, अठारह वर्ष से कम आयु के पुरुष से पूछताछ की जा सकती है जहाँ वह रहता है और यह पूछताछ आदर्श रूप से उसके परिवार के सदस्यों, संरक्षकों, उपयुक्त व्यक्तियों अथवा किशोर कल्याण अधिकारियों की उपस्थिति में की जानी चाहिए।

v. दं.प्र.सं के प्रावधानों के और उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करने में विवेचना अधिकारी की ओर से विफलता उसे लागू नियमों के अन्तर्गत उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु उत्तरदायी ठहराएगी।

vi. सार्वजनिक समर्थन के विभिन्न तरीकों के माध्यम से जनता को शिक्षित करने के लिए वृहद प्रचार किया जाना चाहिए।

vii. यह स्थायी आदेश उत्तर प्रदेश पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर भी पोस्ट किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनता को पालन की जाने वाली प्रक्रिया से अवगत कराया जाए।

viii. उपरोक्त सूचना को पुलिस थानों, अधीनस्थ न्यायालयों और माननीय उच्च न्यायालय में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित कराया जाना चाहिए तथा राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि जनता को उनके अधिकारों और उनके लिए उपलब्ध संसाधनों के विषय में सूचित किया जा सके।

ix. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-41ए, 91, 160 और 175 के प्रभावी अनुपालन के प्रति पुलिस अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेष रूप से तैयार किए जाएं।

7. अभिलेखों को बनाए रखना / नष्ट करना

पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के पास विवेचना अधिकारी / अधिकारियों द्वारा जमा की गयी पुरानी पुस्तिकाओं को मामलों के विचारण के दौरान उनकी आवश्यकता के दृष्टिगत विवेचना पूर्ण होने एवं धारा-173(2) व 173(8) दं.प्र.सं. के अन्तर्गत अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के बाद तीन वर्ष तक बनाये रखा जायेगा। यदि अभिलेख/अभिलेखों को विनिर्दिष्ट समयावधि के पश्चात भी बनाये रखे जाना हो तो सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त/पुलिस उपाधीक्षक की सहमति की आवश्यकता होगी। किसी भी मामले में ऐसे अभिलेखों के अंतिम निस्तारण हेतु सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त/पुलिस उपाधीक्षक की सहमति ली जानी चाहिए।

.....8

8. क्रिमिनल अपील संख्या-838/2021 सिद्धार्थ बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 16.08.2021 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रस्तुत करते समय अभियुक्तों को अनिवार्य रूप से मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने सम्बन्धी विचारण न्यायालयों द्वारा की जा रही अपेक्षा के बिन्दु पर निम्नवत निर्देश निर्गत किये हैं—

> "8. I must say at this stage that the refusal by criminal Courts either through the learned Magistrate or through their office staff to accept the charge-sheet without production of the accused persons is not justified by any provision of law. Therefore, it should be impressed upon all the Courts that they should accept the charge-sheet whenever it is produced by the police with any endorsement to be made on the charge-sheet by the staff or the Magistrate pertaining to any omission or requirement in the charge-sheet. But when the police submit the charge-sheet, it is the duty of the Court to accept it especially in view of the provisions of Section 468 of the Code which creates a limitation of taking cognizance of offence. Likewise, police authorities also should impress on all police officers that if charge-sheet is not accepted for any such reason, then attention of the Sessions Judge should be drawn to these facts and get suitable orders so that such difficulties would not arise henceforth." We are in agreement with the aforesaid view of the High Courts and would like to give our imprimatur to the said judicial view. It has rightly been observed on consideration of Section 170 of the Cr.P.C. that it does not impose an obligation on the Officer-in-charge to arrest each and every accused at the time of filing of the chargesheet. We have, in fact, come across cases where the accused has cooperated with the investigation throughout and yet on the chargesheet being filed non-bailable warrants have been issued for his production premised on the requirement that there is an obligation to arrest the accused and produce him before the court. We are of the view that if the Investigating Officer does not believe that the accused will abscond or disobey summons he/she is not required to be produced in custody. The word "custody" appearing in Section 170 of the Cr.P.C. does not contemplate either police or judicial custody but it merely connotes the presentation of the accused by the Investigating Officer before the court while filing the chargesheet.
>
> We may note that personal liberty is an important aspect of our constitutional mandate. The occasion to arrest an accused during investigation arises when custodial investigation becomes necessary or it is a heinous crime or where there is a possibility of influencing the witnesses or accused may abscond. Merely because an arrest can be made because it is lawful does not mandate that arrest must be made. A distinction must be made between the existence of the power to arrest and the justification for exercise of it.4 If arrest is made routine, it can cause incalculable harm to the reputation and self-esteem of a person. If the Investigating Officer has no reason to believe that the accused will abscond or disobey summons and has, in fact, throughout cooperated with the investigation we fail to appreciate why there should be a compulsion on the officer to arrest the accused."

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्देश के आलोक में आरोप पत्र मा0 विचारण न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु बिना पर्याप्त कारण के मात्र विचारण न्यायालयों द्वारा की जा रही अपेक्षा के क्रम में अभियुक्त को गिरफ्तार कर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

.....9

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मिस. एप्लीकेशन सं0-1849/2021, SLP Crl. 5191/2021 सतेन्द्र कुमार अन्टिल बनाम सी.बी.आई. व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 11.07.2022, में दिये गये निर्देशों के क्रम में सर्वसंबंधित को निर्देशित किया जाता है कि परिपत्र के साथ संलग्न अमनदीप सिंह जौहर बनाम (एनसीटी) दिल्ली राज्य में पारित आदेश दिनांकित 07.02.2018, क्रिमिनल अपील संख्या-1277/2014 अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 02.07.2014 तथा क्रिमिनल अपील संख्या-838/2021 सिद्धार्थ बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 16.08.2021 (छायाप्रतियाँ संलग्न) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन करते हुये इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें। यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इन निर्देशों के अनुपालन में शिथिलता बरती जाती है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

भवदीय,

16/2/2023

(देवेन्द्र सिंह चौहान)

<u>प्रतिलिपिः निम्नलिखित को अनुपालनार्थ</u> —

1. पुलिस आयुक्त,
   कमिश्नरेट-लखनऊ/कानपुर/वाराणसी/गौतमबुद्धनगर/आगरा/गाजियाबाद/प्रयागराज।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   प्रभारी जनपद रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु</u> —

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र, उ0प्र0।

प्रारूप -A

क्रमांक.....

पुलिस स्टेशन .....

सेवा में,

[अभियुक्त/नोटिसी का नाम]
[अंतिम ज्ञात पता]
[फ़ोन नंबर/ईमेल आईडी (यदि कोई हो)]

धारा 41 (ए) दण्ड प्रक्रिया संहिता. के तहत नोटिस।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं आपको सूचित करता हूं कि मु.अ.सं..... अन्तर्गत धारा..... थाना..... की विवेचना के दौरान यह पता चला है कि वर्तमान जांच के संबंध में तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए आपसे पूछताछ करने के लिए उचित आधार हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप मेरे समक्ष दिनांक ..... को पूर्वाह्न/अपराह्न .....बजे, थाना..... पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। आपको निम्नलिखित निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है:-

a. आप भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे।
b. आप मामले में सबूतों के साथ किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
c. आप मामले के तथ्य से परिचित किसी भी व्यक्ति को अदालत या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिए कोई धमकी, प्रलोभन या वादा नहीं करेंगे।
d. जब भी आवश्यक/निर्देशित होगा, आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।
e. जब भी आवश्यकता होगी आप मामले की जांच में शामिल होंगे और जांच में सहयोग करेंगे।
f. आप मामले के सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए जांच के उद्देश्य से प्रासंगिक किसी भी हिस्से को छुपाए बिना सभी तथ्यों का सच्चाई से खुलासा करेंगे।
g. आप जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक सभी प्रासंगिक दस्तावेज/सामग्रियां प्रस्तुत करेंगे।
h. आप साथी को पकड़ने में अपना पूरा सहयोग/सहायता प्रदान करेंगे।
i. आप किसी भी तरह से मामले की जांच/परीक्षण के उद्देश्य से प्रासंगिक किसी भी सबूत को नष्ट करने की अनुमति नहीं देंगे।
j. कोई अन्य शर्तें, जो मामले के तथ्यों के अनुसार जांच अधिकारी/एसएचओ द्वारा लगाई जा सकती हैं।

इस नोटिस की शर्तों के अनुसार उपस्थित होने/अनुपालन की विफलता की स्थिति आपको दण्ड प्रक्रिया संहिता. की धारा 41ए(3) और (4) के तहत गिरफ्तारी के लिए उत्तरदायी बना सकती है।

[हस्ताक्षर]
[नाम और पदनाम]
[चिह्न मुहर]

पावती

क्रमांक.....

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत जारी उपर्युक्त नोटिस दिनांक ..... के अनुपालन में, नोटिसी प्राप्तकर्ता दिनांक को .....समय ..... से ..... तक उपस्थित हुआ है। पुलिस थाने द्वारा रखे गए रजिस्टर में नोटिसी की उपस्थिति दर्ज की गई है।

यह पावती दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के अनुपालन में जारी की जा रही है। नोटिसी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को जब्ती ज्ञापन/प्रस्तुति ज्ञापन(प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से विधिवत जब्त कर लिया गया है।

नोटिस प्राप्त करने वाला किसी भी अन्य नोटिस का पालन करना जारी रखने का वचन देता है जो उसे वर्तमान जांच के दौरान प्राप्त हो सकता है।

[अभियुक्त के हस्ताक्षर]/नोटिसी]

[विवेचक के हस्ताक्षर]

प्रारूप -B

क्रमांक..... पुलिस स्टेशन .....

सेवा में,

[अभियुक्त/नोटिसी का नाम]

[अंतिम ज्ञात पता]

[फ़ोन नंबर/ईमेल आईडी (यदि कोई हो)]

धारा 91 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत नोटिस

जबकि मुझे यह प्रतीत होता है कि दिनांक..... को थाना..... पर पंजीकृत मु.अ.सं. ..... अन्तर्गत धारा ..... के मामले में जांच के उद्देश्य के लिए नीचे उल्लिखित दस्तावेजों/वस्तुओं की प्रस्तुति आवश्यक या वांछनीय है।

अत: आपको निर्देश दिया जाता है कि आवश्यक सामग्री/दस्तावेज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक ..... समय .....तक स्थान.....पर प्रस्तुत करें।

दस्तावेजों का विवरण

1.....

2. .....

3. .....

4. .....

इस नोटिस की शर्तों के अनुसार उपस्थिति होने /अनुपालन करने में विफल रहने पर आप भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174 के तहत कानूनी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं।

[हस्ताक्षर]

[नाम और पदनाम]

[चिह्न मुहर]

.....

पावती

क्रमांक.....

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-91 के तहत जारी उपर्युक्त नोटिस दिनांकित ..... के अनुपालन में, नोटिसकर्ता दिनांक ..... को समय .....से ..... तक उपस्थित हुआ है तथा इस हेतु पुलिस थाने पर रखे गए रजिस्टर में नोटिसी की उपस्थिति दर्ज की गई है।

यह पावती दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-91 के अनुपालन में जारी की जा रही है। इस नोटिस के जारी होने पर प्रस्तुत दस्तावेजों को जब्ती ज्ञापन / प्रस्तुति ज्ञापन(प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से विधिवत जब्त कर लिया गया है।

नोटिस प्राप्त करने वाला यह वचन देता है कि वह वर्तमान जांच के दौरान प्राप्त होने वाले किसी भी अन्य नोटिस का पालन करना जारी रखेगा।

[विवेचक के हस्ताक्षर]

[अभियुक्त के हस्ताक्षर]/नोटिसी]

प्रारूप -C

पुलिस स्टेशन .....

क्रमांक.....

सेवा में,

[अभियुक्त/नोटिसी का नाम]

[अंतिम ज्ञात पता]

[फ़ोन नंबर/ईमेल आईडी (यदि कोई हो)]

धारा 160 दण्ड प्रक्रिया संहिता. के तहत नोटिस

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं आपको सूचित करता हूं कि थाना .....में पंजीकृत एफआईआर/मामला संख्या-..... अन्तर्गत धारा..... दिनांकित ..... की जांच/विवेचना के दौरान यह पता चला है कि वर्तमान जांच के संबंध में तथ्यों एवं परिस्थितियों का पता लगाने के लिए आपसे सवाल करने के लिए उचित आधार हैं।

अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि आप मेरे समक्ष दिनांक .....को पूर्वाह्न/अपराह्न..... पर थाना..... पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

आप को निम्नलिखित निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है:-

a. आप आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे/प्रत्यक्ष।
b. जब भी आवश्यकता होगी आप मामले की जांच में शामिल होंगे और जांच में सहयोग करेंगे।
c. आप मामले के सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए जांच के उद्देश्य से प्रासंगिक किसी भी हिस्से को छुपाए विना सभी तथ्यों का सच्चाई से खुलासा करेंगे।
d. आप जांच के उद्देश्य के लिए आवश्यक सभी प्रासंगिक दस्तावेज/सामग्री प्रस्तुत करेंगे।
e. आप साथी को पकड़ने में अपना पूरा सहयोग/सहायता प्रदान करेंगे।
f. आप किसी भी तरह से मामले की जांच/परीक्षण के उद्देश्य से प्रासंगिक किसी भी सबूत को नष्ट करने की अनुमति नहीं देंगे।
g. कोई अन्य शर्तें, जो मामले के तथ्यों के अनुसार जांच अधिकारी/एसएचओ द्वारा लगाई जा सकती हैं।

इस नोटिस की शर्तों के अनुसार उपस्थिति होने /अनुपालन करने में विफल रहने पर आप भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174 के तहत कानूनी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं।

[हस्ताक्षर]
[नाम और पदनाम]
[चिह्न मुहर]

.....

पावती

क्रमांक.....

उपर्युक्त द.प्र.सं. की धारा 160 के तहत जारी नोटिस दिनांक ..... के अनुपालन में नोटिसकर्ता दिनांक ..... को समय ..... से ..... तक उपस्थित हुआ तथा इस हेतु पुलिस थाने पर रखे गए रजिस्टर में नोटिसी की उपस्थिति दर्ज की गई है।

यह पावती दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के अनुपालन में जारी की जा रही है। नोटिसी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को जब्ती ज्ञापन/प्रस्तुति ज्ञापन (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से विधिवत जब्त कर लिया गया है।

नोटिस प्राप्त करने वाला यह वचन देता है कि वह वर्तमान जांच के दौरान प्राप्त होने वाले किसी भी अन्य नोटिस का पालन करना जारी रखेगा।

[विवेचक के हस्ताक्षर]

[अभियुक्त के हस्ताक्षर]/नोटिसी]

प्रारूप -D

क्रमांक..... पुलिस स्टेशन .....

सेवा में,

[अभियुक्त/नोटिसी का नाम]

[अंतिम ज्ञात पता]

[फ़ोन नंबर/ईमेल आईडी (यदि कोई हो)]

<u>धारा 175 दण्ड प्रक्रिया संहिता. के तहत नोटिस</u>

जबकि दिनांक..... को थाना ..... पर पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-..... अन्तर्गत धारा..... के मामले में किए गए अपराध की जांच के प्रयोजन के लिए आपके उपस्थिति की आवश्यकता है।

अत: आपको एतद्वारा निर्देशित किया जाता है कि दिनांक..... को पूर्वाह्न / अपराह्न ..... पर थाना..... पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर कारित अपराध के सम्बन्ध में जो भी सूचना आपके पास हो, उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

इस नोटिस की शर्तों के अनुसार उपस्थिति होने /अनुपालन करने में विफल रहने पर आप भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174 के तहत कानूनी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं।

[हस्ताक्षर]

[नाम और पदनाम]

[चिह्न मुहर]

.....

<u>पावती</u>

क्रमांक.....

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-175 के तहत जारी उपर्युक्त नोटिस दिनांक ..... के अनुपालन में, नोटिसकर्ता दिनांक ..... को समय..... से ..... तक उपस्थित हुआ है इस हेतु पुलिस थाने पर रखे गए रजिस्टर में नोटिसी की उपस्थिति दर्ज की गई है।

यह पावती दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 175 के अनुपालन में जारी की जा रही है।

नोटिस प्राप्त करने वाला यह वचन देता है कि वह वर्तमान जांच के दौरान प्राप्त होने वाले किसी भी अन्य नोटिस का पालन करना जारी रखेगा।

[विवेचक के हस्ताक्षर]

[अभियुक्त के हस्ताक्षर]/नोटिसी]

प्रारूप-E

नोटिस निर्गत रजिस्टर

क्रम संख्या				
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0/जी0डी0 नं0/ दिनांक				
अन्तर्गत धारा				
नोटिस अन्तर्गत धारा	41-ए	91	160	175
बुकलेट क्रम संख्या, विवेचक का नाम व मो0नं0				
व्यक्ति का नाम, पता, मो0नं0 जिसे विवेचक द्वारा बुलाया गया है।				
उपस्थिति एवं अनुपालन हेतु दिया गया दिनांक व समय				
उपस्थिति एवं अनुपालन हेतु दिया गया वास्तविक दिनांक व समय				
नोटिस के निर्देशों के अनुपालन में असफल होने पर की गयी कार्यवाही				
नोटिसी के उपस्थिति एवं विवेचक को सूचित करने का जी.डी. नं0 (यदि विवेचक उपलब्ध न हो)				